

30/5/23 फ़ावली पेश हुई। बाकी एवं बाकीपकील

अनु०। न्यायालय द्वारा बार-बार आवाज लगावईगी।


कीर्ति- हाजिर अदालत नहीं हुआ। अतः मूल बाद अदम

हाजरी - अदम पेंरवी में खारिज किया जाता है।

फ़ावली कैसल - शूमार हो कर नम्बर

हो कम हो। बाद पूर्ण दारिकल दफ्तर हो। सुनाया

आया।


सहायक कलेक्टर
बहरोड़ (अलवर) राज.